भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3446
जिसका उत्तर गुरुवार, 25 मार्च, 2021 को दिया जाना है

राजनेताओं के लिए फास्ट ट्रैक अदालत

3446. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जनप्रतिनिधियों, राजनेताओं से संबंधित मामलों के विचारण के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने का विचार रखती है;

(ख) क्या सरकार फास्ट ट्रैक अदालत को मौजूदा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों की अदालतों से जोड़ने या विशेष न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करने का विचार रखती है;

(ग) क्या सरकार आपराधिक मामलें में दोषसिद्धि होने की स्थिति में राजनीतिज्ञों पर चुनाव लड़ने के लिए आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए समर्थन में है;

(घ) क्या इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच विचार-विमर्श किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इनके द्वारा दिए गए तर्कों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करना और उनका कार्यकरण उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श करके संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। तथापि, चौदहवें वित्त आयोग ने जघन्य प्रकृति के विनिर्दिष्ट मामलों, महिलाओं, बालकों, वरिष्ठ नागरिकों, समाज के अन्य कमजोर वर्गों और पांच वर्ष से अधिक लंबित संपत्ति संबद्ध मामलों

का निपटान करने के लिए वर्ष 2015-2020 के दौरान 1800 त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करने के लिए भारत संघ के प्रस्ताव का समर्थन किया था और इस प्रयोजन के लिए कर न्यागमन (32% से 42%) के माध्यम से उपलब्ध वर्धित वित्तीय व्यवस्था का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया था । उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, देश में ऊपर उल्लिखित कार्यशील त्वरित निपटान न्यायालय 894 हैं । निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधान सभा सदस्यों को अंतर्वलित करने वाले दांडिक मामलों के शीघ्र विचारण और निपटान के लिए, 11 राज्यों [दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में 02 और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल, प्रत्येक में 01] में भी 12 विशेष न्यायालय स्थापित किए गए थे । इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय के आदेश, तारीख 04.12.2018, द्वारा केरल और बिहार राज्य के विशेष न्यायालयों को बंद कर दिया गया है ।

(ग) : वर्तमान में, दांडिक मामले में दोषसिद्ध होने पर निर्वाचन लड़ने के लिए राजनीतिज्ञ पर आजीवन प्रतिबंध विहित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(घ) और (ङ) : उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता ।

****